

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ-1(2)(56)स्था/मअ/2009/ 45661

जयपुर, दिनांक 8-7-13


आदेश

महिला अधिकारिता विभाग में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं प्रशाखाओं के प्रभारियों के पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में कार्य विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. स	प्रभारी अधिकारी	प्रकोष्ठ में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी	कार्य विवरण	विशेष विवरण
1.	परियोजना समन्वयक, (जैण्डर सैल)	1. अति. परि. समन्वयक 2. उपनिदेशक सांख्यिकी 3. सहा. सांख्यिकी अधिकारी 4. कनिष्ठ लिपिक-2 5. कम्प्यूटर सेवाएं	जैण्डर से संबंधित समस्त कार्य	
2.	अतिरिक्त निदेशक, (मअ)	1. कार्यक्रम अधिकारी (योजना) 2. वरिष्ठ विधि अधिकारी 3. निजी सहायक 4. कनिष्ठ लिपिक-3	1. कार्यालय अध्यक्ष 2. महिला अधिकारिता के अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन एवं प्रशासन संबंधी सभी कार्य। 3. जाँच व गोपनीय 4. विधि प्रकोष्ठ 5. रोकड बिल भुगतान प्रकोष्ठ 6. कार्यक्रम अधिकारियों की मासिक बैठक आदि 7. समस्त विभागीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण 8. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा	
3.	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, (जैण्डर सैल)	1. कार्यक्रम अधिकारी, (SRCW) 2. रिसर्च ऑफिसर 3. कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवाएं	1. जैण्डर से संबंधित समस्त कार्य 2. NMEW-SRCW योजना	NMEW से संबंधित पत्रावलियां निदेशक, म.अ. को प्रस्तुत की जाएंगी।
4.	अतिरिक्त निदेशक, (स्वयं सहायता समूह)	1. उपनिदेशक 2. कार्यक्रम अधिकारी (विपणन) 3. कार्यक्रम अधिकारी (रिसर्च) 4. कार्यक्रम अधिकारी, (प्रशिक्षण) 5. कार्यक्रम सहायक-2 6. कनिष्ठ लिपिक	1. सहरिया कार्यक्रम 2. बालिका नीति 3. एस.एच.जी. कार्यक्रम 4. अमृता सोसायटी से संबंधित कार्य 5. मिशन ग्राम्य शक्ति 6. एस.एल.बी.सी. मीटिंग 7. एस.एच.जी. को उचित मुल्य की दुकान/ साख दर्पण/ स्टेप योजना/ नाबार्ड/ अंतर्विभागीय समन्वय/ शिल्पी- ग्राम्या उपसमूह 8. आर.के.सी.एल. कम्प्यूटर प्रशिक्षण 9. कलेवा योजना 10. प्रियदर्शिनी/स्वावलम्बन योजना	पत्रावलियां सीधे निदेशक, महोदया को प्रस्तुत की जाएंगी।
5.	मुख्य लेखाधिकारी, मअ	1. सहायक लेखाधिकारी, (मअ) 2. लेखाकार-3 3. कनिष्ठ लिपिक 4. कम्प्यूटर ऑपरेटर	1. महिला अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं के बजट नियंत्रण संबंधी सभी कार्य 2. महिला अधिकारिता विभाग के लेखा प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी	समस्त पत्रावली/प्रकरण जिसमें वित्तीय प्रावधान है, मुख्य लेखाधिकारी, मअ के माध्यम से निदेशक, महोदया को प्रस्तुत की जाएंगी।


		सेवाएं	3. लेखा संबंधी सभी कार्य 4. समस्त आडिट पैराज 5. अनुपयोगी सामान की नीलामी 6. वेतन स्तरीकरण 7. आहरण एवं वितरण	
6.	उपनिदेशक, RAS (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)	1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2. OS की सेवाएं 3. कार्यालय सहायक 4. वरिष्ठ लिपिक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवाएं	1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2. कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न 3. जिला महिला सहायता समिति संबंधी प्रकरण 4. महिला उत्पीड़न एवं दहेज संबंधी प्रकरण 5. संस्थापन प्रभारी 6. प्रभारी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी 7. प्रभारी सुगम वेब पोर्टल 8. प्रभारी अधिकारी पूल/स्टोर	1. संस्थापन, पूल/स्टोर व सुगम संबंधी प्रकरण अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी। 2. महिला संरक्षण से संबंधित पत्रावलियां सीधे ही निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेगी।
7.	कार्यक्रम निदेशक, (मुख्यालय)	1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2. कनिष्ठ लिपिक-2	1. महिला कार्यक्रम प्रकोष्ठ 2. साधिन/प्रचेता, प्रशिक्षण, 3. विभाग से संबंधित जन संपर्क 4. महिला शक्ति पुरस्कार 5. महिला दिवस का आयोजन 6. वीआईपी पत्रों का निस्तारण 7. प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय 8. सामान्य शाखा प्रकोष्ठ के कार्य	अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी।
8.	कार्यक्रम निदेशक, आर.आर.टी.सी. जयपुर	1. कार्यक्रम अधिकारी 2. कनिष्ठ लिपिक	1. मुख्यमंत्री सात सूत्रीय कार्यक्रम 2. धनलक्ष्मी केंद्र	अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी।
9.	उपनिदेशक, मअ	1. कनिष्ठ लिपिक	1. सामूहिक विवाह अनुदान 2. बाल विवाह (यूनिसेफ से सहायता प्राप्त सहित) 3. महिला नीति 4. सबला योजना 5. देवनारायण योजना 6. किशोरी शक्ति योजना	अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी।
10.	उपनिदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रशासन)	1. कार्यक्रम अधिकारी, (प्रशासन) 2. वरिष्ठ लिपिक	1. विधानसभा एवं लोकसभा प्रकोष्ठ 2. राज्य महिला आयोग के प्रशासनिक कार्य 3. सूचना का अधिकार 4. प्रभारी टाईम्स पोर्टल (जिलों के भ्रमण रिपोर्ट) 5. विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम	अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी।
11.	IT प्रकोष्ठ	1. प्रोग्रामर 2. कनिष्ठ लिपिक	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्त कार्य	पत्रावलियां उपनिदेशक, महिला संरक्षण प्रकोष्ठ के माध्यम से निदेशक म.अ. को प्रस्तुत की जाएगी।
12.	Monitoring प्रकोष्ठ	1. कार्यक्रम अधिकारी (योजना) 2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी 3. प्रोग्रामर	मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा।	अति० निदेशक, मअ के माध्यम से निदेशक, मअ को प्रस्तुत की जावेगी।

वर्तमान में जिन कर्मचारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य संधारित किए जा रहे हैं, वे ही कर्मचारी संबंधित पत्रावलियां/प्रकरण नवीन प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।


 (डॉ० रेखा गुप्ता)
 निदेशक
 महिला अधिकारिता

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. परियोजना समन्वयक, जैण्डर प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. अतिपरियोजना समन्वयक, जैण्डर प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
7. अतिनिदेशक, महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान (एसएचजी), मअ, जयपुर।
8. उपनिदेशक, RAS, विशेष महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
9. कार्यक्रम निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
10. कार्यक्रम निदेशक, आर.आर.टी.सी., जयपुर
11. उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
12. उपनिदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रशासन), महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
13. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभाग के नेट पर अपलोड करने हेतु
14. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी.....
15. आदेश पत्रावली


(रजनी सी. सिंह)
अतिरिक्त निदेशक,
महिला अधिकारिता